

स्वीकृति शक्ति..... 10.71.P. अश्व शक्ति.....
स्वीकृति संख्या 9551 दिनांक 09/12/2023
स्वीकृति विधा Lmv-5 निजी नलकूप.....
प्रकमण शुल्क रु० 100/- रसीद सं० P.53857662 दिनांक 06/12/2023

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम 11के०वी० अकबरा
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

P-

सिकन्दरा, आगरा

रजिस्टर्ड

सशर्त / सामान्य / पूर्ण जमा योजना

पत्रांक..... 9601 /वि०वि०खं०(प्र०)आ०/टी०सी०/निजी नलकूप संयोजन दिनांक 11/12/23

श्री: सुरेश चन्द पुत्र श्री: राजा कुमार ग्राम २४० नं० ६११, आंगरी ल
पोस्ट कनकला ब्लॉक अकबरा तहसील किरावली जिला आगरा

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत विद्युत शक्ति से सम्बन्धित व्यय का लेखा जोखा इस कार्यालय में प्राप्त हो गया है। आपको संयोजन पूंजिमा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की स्वीकृति व पालन करने की अवस्था में दिया जायेगा।

1. आप अनुबन्ध करने की तिथि को निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में जमा कर दें।

(अ) जमानत की धनराशि रु० 3000 = 00
(ब) सर्विस कनेक्शन की धनराशि रु० 1,09,680 = 00
(स) फिक्सड चार्ज की धनराशि रु० 4957 = 00
(द) अन्य चार्ज रु० /
(य) अनुदान धनराशि रु० /

योग रु० 1,17,637 = 00

(रुपये शब्दों में ~~एक लाख अत्तरह हजार है~~ ^{११ ९९९} ~~और बीस मात्र~~)

2. आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 50 मीटर लाइन पड़ने के कारण 1,17,637 = 00 रु० का अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा।

3. मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष में "0043-102" बिजली पर कर एवं शुल्क भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत रु० 1175/- जमा करना होगा। चालान प्रति प्रस्तुत करनी है।

4. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33 के० वी० विद्युत सब स्टेशन कनकला से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी। सामान ढुलाई के साथ निगम का चतुर श्रमिक (Skilled Labour) जायेगा तथा शीघ्र कार्य शुरू कर देगा।

P.T.O.